फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 203/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/210) **श्रीमती कमलादेवी व अन्य बनाम श्रीमती पुष्पादेवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सम्पतलाल बोहरा, परमेश्वर पड़्या - वकील अपीलार्थी 2. अनुपस्थित - वकील प्रत्यर्थी-1 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** **1. श्रीमती कमलादेवी पत्नि श्री लालूराम सालवी (बलाई), निवासी छापरखेड़ी, तहसील व जिला राजसमंद।** **2. श्री सुरेश पिता श्री लालूराम सालवी (बलाई), निवासी छापरखेड़ी, तहसील व जिला राजसमंद।** **3. श्रीमती श्यामा पुत्री श्री लालूराम सालवी (बलाई), निवासी छापरखेड़ी, तहसील व जिला राजसमंद।** **अपीलार्थी** **1. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि स्व. श्री लालूराम सालवी, निवासी सलोदा स्कूल के पास, बेदला, लखावली रोड़, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।** **2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंवारिया, जिला राजसमंद।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद, बप्रकरण संख्या 16/2021 निर्णय दिनांक 02.08.2022 (अनवान श्रीमती पुष्पादेवी बनाम श्रीमती कमला देवी व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 10.06.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद, बप्रकरण संख्या 16/2021 निर्णय दिनांक 02.08.2022 (अनवान श्रीमती पुष्पादेवी बनाम श्रीमती कमला देवी व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती पुष्पादेवी सालवी द्वारा तहसीलदार कुंवारिया समक्ष एक प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह स्व.श्री लालुराम की पत्नि है। 30 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से नाता विवाह किया। श्री लालुराम की मृत्यु दिनांक 02.07.2017 को सड़क दुर्घटना में हो चुकी है। उनकी मृत्यु होने के कारण ग्राम छापरखेड़ी की खातेदारी की जमीन में 1/2 हिस्सा के नामान्तरकरण उसके यानी श्रीमती पुष्पादेवी के नाम खोला जावें। तहसीलदार कुंवारिया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बाबत नामान्तरकरण पत्रावली संख्या 02/2020 निर्णय दिनांक 19.03.2021 से खारिज कर दिया गया। • तहसीलदार कुंवारिया के उक्त निर्णय दिनांक 19.03.2021 से व्यथीत होकर वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती पुष्पादेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर निवदेन किया कि श्री लालुराम की मृत्यु दिनांक 02.07.2017 को सड़क दुर्घटना में हो चुकी है, मोटर दुर्घटना दावा आधिकरण, उदयपुर के निर्णय दिनांक 17.02.2020 में उसको यानि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 203/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/210) **श्रीमती कमलादेवी व अन्य बनाम श्रीमती पुष्पादेवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

श्रीमती पुष्पादेवी एवं श्रीमती कमला देवी दोनों को श्री लालुराम की पत्नि मानकर एवार्ड पारित किया गया। श्री लालुराम पुलिस विभाग में कान्सटेबल के पद पर नियुक्त थे, उनके द्वारा अपने नोमिनेशन फार्म में भी श्रीमती पुष्पादेवी को नोमिनी बनाया हुआ था। इसके अतिरिक्त श्रीमती पुष्पादेवी के श्री लालुराम की पत्नि होने साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, विद्युत बिल इत्यादि अभिलेखों पर उपलब्ध है। तहसीलदार द्वारा श्रीमती पुष्पादेवी के पत्नि होने के साक्ष्य हेतु कोई बयान एवं जांच नहीं की गई, कोई दस्तावेज अभिलेखों पर नहीं लिया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-10 में प्रावधान है कि यदि किसी निर्वसीयती की एक से अधिक पत्नियां है, तो दोनों पत्नियों को एक ईकाई मानकर दोनों में समान रूप से मृतक की सम्पत्ति में दी जावेगी। उसने (श्रीमती पुष्पादेवी) लालुराम की पत्नि होने के पर्याप्त सबुत/दस्तावेज तहसीलदार समक्ष प्रस्तुत किये, फिर भी तहसीलदार द्वारा उसके विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया, जो काबिल निरस्त के है।

- अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा उनके समक्ष वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती पुष्पादेवी की अपील को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 02.08.2022 प्रसारित किया कि-

"अतः पत्रावली, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस, प्रस्तुत विधिक नजीरों, पत्रावली पर उपलब्ध माननीय न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण क्रम-1 उदयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 17.02.2020 को दृष्टिगत प्रकरण प्रथम दृष्टया न्यायहित में तहसीलदार कुंवारिया द्वारा पारित पत्रावली संख्या 02/2020 प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण निर्णय दिनांक 19.03.2021 को अपास्त किया जाता है। साथ ही इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि तहसीलदार, कुवांरिया प्रकरण में पक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रचलित विधि के प्रावधानों में अन्तर्गत नियमानुसार जांच कर प्रकरण को नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें।"

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद के उक्त निर्णय दिनांक 02.08.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अन्दर मयाद अपील पेश की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 06.06.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-2 के ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित। अन्य रेस्पोडेंटस् की ओर से बावजुद सूचना कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सूनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि मृतक लालुराम जी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उसकी पत्नि कमलादेवी, पुत्र सुरेश व पुत्री श्यामा थी तथा उक्त वारिसों के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। श्रीमती पुष्पादेवी अपने आपको लालु जी नातायत पत्नि कहती है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 203/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/210) **श्रीमती कमलादेवी व अन्य बनाम श्रीमती पुष्पादेवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जबकि हिन्दु विधि से विवाह कमलादेवी के साथ हुआ एवं वह जिन्दा है। कमलादेवी के जीवित रहते किसी दुसरी औरत को लालुराम को लाने का अधिकार नहीं था। इसी कारण श्रीमती पुष्पा देवी का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कोई हक व अधिकार नहीं लगता है। इस बात को तहसीलदार कुंवारिया ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील में स्वीकार कर रिमाण्ड करने में विधिक त्रुटि की है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 में मृतक के कौन-कौन वारिस होगें, यह स्पष्ट दर्शाया गया है परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय में धारा-8 का अवलोकन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 को समझे बिना तथा धारा-8 की व्याख्या किये बिना अविधिक निर्णय पारित किया। अन्त में अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर तहसीलदार, कुंवारिया के निर्णय दिनांक 19.03.2021 को बहाल रखाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रत्यर्थी तहसीलदार कुंवारिया की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के स्पष्ट है कि श्रीमती पुष्पादेवी द्वारा श्री लालुराम की सम्पत्ति में पत्नि होने की हैसियत से एक प्रार्थना पत्र बाबत नामान्तरकरण तहसीलदार कुंवारिया समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण को भी सुना गया और श्रीमती पुष्पादेवी के प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 19.03.2021 से खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध श्रीमती पुष्पादेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष अपील पेश की गई। अति.जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा निर्णय दिनांक 02.08.2022 पारित किया गया कि-

"अतः पत्रावली, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस, प्रस्तुत विधिक नजीरों, पत्रावली पर उपलब्ध माननीय न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण क्रम-1 उदयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 17.02.2020 को दृष्टिगत प्रकरण प्रथम दृष्टया न्यायहित में तहसीलदार कुंवारिया द्वारा पारित पत्रावली संख्या 02/2020 प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण निर्णय दिनांक 19.03.2021 को अपास्त किया जाता है। साथ ही इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि तहसीलदार, कुवांरिया प्रकरण में पक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रचलित विधि के प्रावधानों में अन्तर्गत नियमानुसार जांच कर प्रकरण को नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें।"

उक्त निर्णय से व्यथीत होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों व लिखित बहस, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। हालांकि अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 दौराने बहस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 203/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/210) **श्रीमती कमलादेवी व अन्य बनाम श्रीमती पुष्पादेवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपस्थित नहीं हुए, परन्तु इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पत्रावलियों पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात पर विधिक परिक्षण एवं विचार विश्लेषण उपरान्त गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। इस सिद्धान्त के दृष्टिगत विभिन्न स्तर पर प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री लालुराम की मृत्यु दिनांक 02.07.2017 को सड़क दुर्घटना में हो चुकी है, मोटर दुर्घटना दावा आधिकरण, उदयपुर के निर्णय दिनांक 17.02.2020 में श्रीमती पुष्पादेवी एवं श्रीमती कमला देवी दोनों को ही श्री लालुराम की पत्नि मानकर एवार्ड पारित किया गया। श्रीमती पुष्पादेवी का उजर रहा है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-10 में प्रावधान है कि यदि किसी निर्वसीयती की एक से अधिक पत्नियां है, तो दोनों पत्नियों को एक ईकाई मानकर दोनों में समान रूप से मृतक की सम्पत्ति में दी जावेगी। इसके विपरित अधिवक्ता अपीलार्थी का उज्र रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 को समझे बिना तथा धारा-8 की व्याख्या किये बिना अविधिक निर्णय पारित किया। उपरोक्त विवाद की स्थिति अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी उपलब्ध थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमती पुष्पादेवी के प्रार्थना पर उक्तानुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार कुंवारिया को उक्त निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय एक तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2022 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	